(158)

संख्या- 604 /2015/1577/69-1-15-10(एस0सी0पी0)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

Budget-83
SCP-I-ख्रीरी

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2015

विषय **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-645/48/10/छ:/विविध/खीरी/2012-13, दिनांक 21 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत** जनपद-लखीमपुर खीरी की न0पा0परि0 लखीमपुर खीरी की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 20 परियोजनाओं हेतु **कुल रू0 687.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित,** उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 343.675 लाख (रूपये तीन करोड़ तैंतालिस लाख सरसठ हजार पॉच सौ मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

क्रमशः.........2

5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/ योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. उक्त् धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

क्रमशः.........3

16. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015** तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 604 /2015/1577(1)/69-1-15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

ासनादेश संख्या-604 /2015/1577/69-1-2015-10(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक 04 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	लखीमपुर खीरी	न0पा0परि0 लखीमपुर खीरी	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में योगेन्द्र कुशवाहा के मकान से बहराइच रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	41.11	20.555
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में सुशील गुप्ता के मकान से नहर पट्टी (रोमी गेस्ट हाउस) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	42.38	21.19
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में शिखा के मकान से पानी की टंकी रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.68	13.34
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में श्री रस्तोगी जी के प्लाट से पानी की टंकी रोड तक तथा अतुल वर्मा के मकान से मूसाराम वर्कशाप रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	43.05	21.525
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में दीपक वर्मा के मकान से हरिशंकर वर्मा व मुकेश वर्मा से शिवकुमार वर्मा व दीपक वाली रोड तक तथा डी0के0 गर्ग के मकान से ऋतु वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.36	13.68
6.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में शैलेश वर्मा के मकान से प्रदीप वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.68	13.34
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में वीनू गौतम के मकान से विपिन गुप्ता के मकान तक तथा गप्पू शुक्ला के मकान से केशव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.47	16.735
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में छन्गा के मकान से रोहित गौतम के मकान तक व छोटू तिवारी के मकान से मुनेजर लाल के मकान तक विपिन गुप्ता के मकान से साड़ी शोरूम तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	46.56	23.28
9.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में सोमनाथ के मकान से सुशील आई0टी0आई0 रोड तक व सुधीर वर्मा के	39.63	19.815

-2-

http://shasanadesh.up.nic.in

			मकान से अनिल शर्मा के मकान तक तथा मोहन बाजपेई के मकान से विजय वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
10.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में दिनेश की दुकान से सरोज वर्मा के मकान तक व रामपाल के मकान से सरोज वर्मा के मकान के पीछे तक तथा वेद प्रकाश वर्मा के मकान से बरखा ब्यूटी पार्लर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.03	18.515
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में रामस्वरूप के मकान से विजय पाल व गिरधारी लाल के मकान तक तथा राजू के मकान से रामअवतार भार्गव के मकान (नहर पट्टी) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.95	18.975
12.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में त्रिभुवन मौर्या के मकान से अशोक के मकान तक व श्री गुप्ता जी के मकान से शेखर बर्मा के मकान तक तथा अजय भार्गव के मकान से कमलेश राजवंशी के घर (नहर पट्टी) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.85	14.925
13.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में ललित कुमार के मकान से श्री राम राजवंशी के मकान तक व अरविन्द के मकान से विनीत वर्मा के मकान तक व छोटे सिंह के मकान से पवन मिश्रा के मकान तक तथा राजेश श्रीवास्तव वाली गली तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.97	16.985
14.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में चन्द्र प्रकाश वर्मा के मकान से अशोक के मकान तक व लेखपाल के मकान से सेवा संस्थान तक तथा सियाराम के मकान से विजय भारती के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.93	14.465
15.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में डा0 अनिल वर्मा के मकान से शमशान घाट तक तथा जयपाल सिंह तोमर वाली रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	42.84	21.42
16.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में प्रेमचन्द्र के मकान से सुबोध के मकान तक व बबलू के मकान से प्यारे नाई के मकान तक व हरीश चन्द्र जायसवाल वाली रोड तथा मुन्ना के घर वाली रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.86	13.93
17.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में आर0एस0 चौहान के मकान से सुरेन्द्र मौर्या के मकान तक तथा धुरिया के मकान से जायसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.82	4.91
18.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में रामसेवक के मकान से सुधीर भार्गव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.00	18.50
19.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में गप्पू शुक्ला के	40.51	20.255

-3-

			मकान से राजेश यादव के मकान तक व सुनील यादव के मकान से शिखा के मकान तक तथा बलराम यादव वाली रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
20.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-09 बरखेरवा में मो0 पटेल नगर में योगेन्द्र कुशवाहा वाली रोड, प्रदीप वर्मा वाली गली रोड तथा सुशील गुप्ता के पीछे वाली रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.67	17.335
	योग			687.35	343.675

(रूपये तीन करोड़ तैंतालिस लाख सरसठ हजार पॉच सौ मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in